हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

20.12.2016/1100/RKS/AS/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष जी, for adjournment of the House आप प्रश्नकाल स्थगित करके हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है उस पर चर्चा करें क्योंकि Income Tax Appellate Tribunal में मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अपील दायर की गई है उसको रिजैक्ट कर दिया गया है और साथ ही सी.बी.आई. ने चार्ज़ शीट कम्पलीट कर ली ...(व्यवधान) पिछले 4 वर्षों से यहां पर ऐसा हो रहा है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका नोटिस आ गया है और उसका मैंने जवाब देना है। रवि जी और बिंदल जी आपने जो नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया है उसका मैं जवाब दूंगा। you expect answer from me (व्यवधान)... देखिए मेरी बात सुनिए और मेरा आपसे निवेदन है कि जब यह मैटर टेक अप होगा तथा मैं अलाउ करुंगा तभी इस पर चर्चा होगी। आप प्रारम्भ में ही चर्चा मांग रहे हैं, पहले मुझे फैसला तो देने दो। Let me decide the things what I have to do. माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी आप बोलिए।

डॉ0 राजीव बिन्दल: अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत जो गम्भीर विषय हमने लगाया है, उसके अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया है और चारों मामलों में उनकी अपील खारिज हो गई है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य अभी तक मैंने चर्चा के लिए अलाउ नहीं किया है। The matter is not put for discussion now. I have to give my own opinion. ...(व्यवधान) I would say that it will not be recorded then. If you start speaking without any permission. I will not allow it for recording. ...(व्यवधान) अभी डिस्कस नहीं हुआ है। अभी मैंने अलाउ ही नहीं किया है। How can you discuss the things?

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

20.12.2016/1105/SLS-AS-1

उद्योग मंत्री (**संसदीय कार्य मंत्री**)**:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन मामलों की बात कर रहे हैं वह मामले विभिन्न अदालतों में लंबित है और सब-ज्युडिस हैं। पिछले 4 सालों से ये विधान सभा में इन्हीं मामलों पर बात करते रहे हैं। ...(व्यवधान)... यह ट्रिब्यूनल का फ़ैसला भी कोई अंतिम फ़ैसला नहीं है। इसकी भी अपील है। इसमें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : भारद्वाज जी, मेरा आपसे यह कहना है कि आपने नियम-67 के अंतर्गत जो नोटिस दिया, आप मुझे उसका जवाब देने दो; उसमें फ़ैसला बताने दो। Let me decide ...(व्यवधान)... मैं वही कह रहा हूं।

कल दिनांक 19.12.2016 को श्री रविन्द्र सिंह, माननीय सदस्य व आज प्रातः 9.50 बजे डॉ० राजीव बिन्दल, सदस्य से नियम-67 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो कि क्रमशः भारतीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच व इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, चण्डीगढ़ द्वारा मुख्य मंत्री के ख़िलाफ़ अकसैस असैसमैंट बारे दिए गए फ़ैसले से संबंधित है। श्री सुरेश भारद्वाज जी से भी इस विषय पर स्थगत प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त हुई है। यह दोनों मामले क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए जो मामले न्यायालय या ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हों ,...(व्यवधान)... मेरी बात सुनिए। You don't want to listen. पहले पूरी बात सुनिए। Let me read it out जो मामले न्यायालय या ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हों, उन पर हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-69(8) व 70 के प्रावधानों के अनुसार सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस प्रकार संसदीय पद्धति व प्रक्रिया के अनुसार सी.बी.आई. द्वारा जांच विषय तथा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा टैक्स

असैसमैंट का मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना प्रदेश सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः इसके दृष्टिगत मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत कर दिया है। ...(व्यवधान)... Mr. Ravinder Singh, I have rejected that Motion. Because we are not authorized to discuss the

20.12.2016/1105/SLS-AS-2

matters which are pending in the Court of Law or the Tribunal or anywhere. You have not to discuss the things. इस मामले में आप बात नहीं कर सकते। और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय अन्य सभी विषयों से अलग है। आपने सभी विषयों को क्लब कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय जो मैंने माननीय सचिव महोदय को दिया, उसमें मैंने कहा है कि भारतीय अन्वेषण ब्यूरो, सीoबीoआईo जांच द्वारा प्रदेश के मुख्य मंत्री पर दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन ...(व्यवधान)... अध्यक्ष जी, आप मेरी बात को पूरा तो होने दो। दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित करने के आरोप पर, क्योंकि प्रदेश सरकार इस मामले को प्रभावित कर रही है, उस मामले पर यह सदन अविलंब चर्चा करे। अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। सीoबीoआईo ने कहा है कि ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ...(व्यवधान)... मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ...(व्यवधान)...

जारी... श्री गर्ग जी

20/12/2016/1110/RG/Ag/1

----(**व्यवधान**)----

रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. ने कहा है कि इसके ऊपर श्री वीरभद्र सिंह की संपत्ति की जांच का अधिकार है और अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय बाहर स्वयं इस बात की चर्चा करते हैं।

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बोलिए। Please listen to everybody.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आप बैठिए और हमारी बात भी सुनिए। Mr. Speaker, Sir,

Speaker: Mr. Ravinder Singh, please sit down. (Interruption) Not at all. You have not to discuss it.

श्री रविन्द्र सिंह : तो इस सदन में आपको इस विषय पर चर्चा कराने में क्या ऐतराज़ है? जिस सरकार का मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है और उसकी सी.बी.आई., आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है, तो हमारी यह मांग है कि यहां पर भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस बारे में सारे विभिन्न समाचार-पत्रों में भी छपा है और मैं इस पेपर को यहां पर ले करता हूं। -----(व्यवधान)-------

अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं। माननीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। श्री रविन्द्र सिंह जी, कृपया आप बैठ जाएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अब आप बैठ भी जाएं। -----(व्यवधान)------

Speaker: This is not to be recorded. (Interruption) If you want to speak without the permission of the Chair, it will not be recorded.

(पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहने की कोशिश करने लगे।)

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आप बोलिए।

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, of course, they have given notice under Rule 67 and after taking into consideration all the facts you have rejected that notice. The decision of the Speaker is final and that cannot be agitated by any Member of the House. This matter, whether it is pertaining to Income Tax Department, is already sub-judice. He has already filed an appeal in the High Court. So the whole matter is sub-judice and under no rule this matter can be discussed in the House. That is my submission.

Speaker: It cannot be discussed.

Health & Family Welfare Minister: They should not agitate the ruling of the Speaker.

Speaker: We are not authorized to discuss these matters. कृपया आप सभी बैठ जाएं।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप यह समाचार-पत्र देखिए। हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का पूरा आदर सत्कार करते हैं। ये कहते हैं कि मैं संविधान पर पूरा विश्वास करता हूं और संविधान में मेरी पूरी आस्था है। -----(व्यवधान)----यदि संविधान में इन्हें विश्वास है, तो यहां पर चर्चा कराई जाए। ----(व्यवधान)----

Speaker: I would like to say as long as this case is pending in the court of law, we have no right to discuss and we should not discuss it. Therefore, I have rejected the Motion. Please. (Interruption) कोर्ट का फैसला कोर्ट पर छोड़िए। जब तक यह मैटर कोर्ट में है तब तक यह मैटर हम यहां डिसकस नहीं कर सकते।

20/12/2016/1110/RG/Ag/3

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी भूमिका पर हमें सन्देह है, आप हमें यहां पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। -----(व्यवधान)-------यहां नोटबंदी पर चर्चा लगी हुई है, वह मैटर भी तो कोर्ट में सब-ज्यूडिस है।-----(व्यवधान)-------

अध्यक्ष : आपकी भूमिका पर भी सन्देह है।-----(व्यवधान)-------

एम.एस. द्वारा जारी

20/12/2016/1115/MS/AG/1

..(व्यवधान)..

श्री रणधीर शर्मा: जो आपने नोटबन्दी पर चर्चा दी है, वह भी सब-ज्यूडिस है। ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष: मुझे आपकी भूमिका पर भी संदेह है। जो आप अंगेस्ट द रूल करना चाहते हैं वह भी संदेहास्पद है।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आज जो नोटबन्दी पर आपने चर्चा दी है वह भी सब-ज्यूडिस है।

अध्यक्ष: नोटबन्दी पर चर्चा हेतु आपकी तरफ से भी माननीय सदस्य का प्रस्ताव आया है।

(**माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने अध्यक्ष महोदय को कुछ कागज़ात सौंपे**)

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, जो आज आपने नियम 130 के तहत नोटबन्दी पर चर्चा दी है वह भी सब-ज्यूडिस है।

Speaker: I have rejected it.

(**विपक्ष के सदस्यों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी**)

This is a part of the court proceedings and as long as this case is in the court we cannot decide it. You cannot take it up. (Interruption) You should realize that this cannot be taken up as long as this is in the court. This is a court matter and cannot be taken up. Please sit down. माननीय धूमल जी बोलिए। Just sit down. Your leader is speaking. Please sit down.

20/12/2016/1115/MS/AG/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दिया कि मामला क्योंकि अदालत में लम्बित है इसलिए सदन इस पर चर्चा नहीं कर सकता। हम आपका सम्मान करते हैं और जिस पीठ पर आप बैठे हैं उसका भी सम्मान करते हैं। आप ज़रा अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा। आप इस मामले को अदालत में लम्बित होने के कारण कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। आपको हमारे एक माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने गैर सरकारी सदस्य दिवस पर नोटबन्दी पर चर्चा हेतु एक संकल्प दिया है। आपने उसे स्वीकार किया और बैलेट करवाया तथा कल सरकुलेट भी कर दिया कि गैर सरकारी सदस्य दिवस पर नोटबन्दी पर श्री महेन्द्र सिंह जी के संकल्प पर चर्चा होगी। उसी टॉपिक पर आज आपने नियम 130 के तहत एजेंडा में चर्चा अलाऊ कर दी। आप जानते होंगे कि एक सत्र में एक टॉपिक पर एक बार ही चर्चा होती है। आपने नियमों के मुताबिक बैलेट में निकाल दिया और चर्चा का नोटिस भी सरकुलेट हो गया कि इस पर गैर सरकारी सदस्य दिवस पर चर्चा होनी है और आज भी चर्चा अलाऊ कर दी परन्तु उससे बड़ा प्रश्न यह है कि एक मामले में तो आप कोर्ट का सहारा लेकर निर्णय दे रहे हैं तो नोटबन्दी का मामला तो उच्चतम न्यायालय में लम्बित है क्या उसको आप कोर्ट नहीं मानते? आपका निर्णय क्या है? ..(व्यवधान)..

अध्यक्ष: एक मिनट सुन लीजिए। ऐसा है जो आपने संकल्प के बारे में कहा है उसमें हमारा प्रोसिज़र यह है कि अगर दो संकल्प एक समय पर लग जाएं तो जो पहला संकल्प होगा वह लगेगा और दूसरा निरस्त कर देंगे That will be defunct. दूसरी बात यह है कि जो

उच्चतम न्यायालय का हवाला दिया है, जो नोटबन्दी पर उच्चतम न्यायालय में केसिज चल रहे हैं,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

20.12.2016/1120/**जेके/एएस**/1

अध्यक्ष:--------**जारी**--------

वे इन्डिविजुअल केसिज़ चल रहे हैं, उसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

प्रो0 प्रेम कुमार धमूल: अध्यक्ष महोदय, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ---(व्यवधान)----

अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज । .....(व्यवधान).....

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। उसका अर्थ है कि आपने बैलट करवाया। बैलट में महेन्द्र सिंह जी का प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकृत हो गया । फिर आपने जो नियम-130 में चर्चा अलाऊ की, और आप स्वयं कह रहे हैं कि जब एक इश्यू पर चर्चा हो जाएगी।

अध्यक्ष: ऐसा है, हमारा रूल है। ---(व्यवधान)--

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष जी, यह नहीं होगा। अब आप सुन तो लो। आप जज हैं और आपने निर्णय करना है। आपने कहा कि जब एक बार चर्चा हो जाएगी तो दूसरा निरस्त हो जाएगा। हमारा इल्ज़ाम यह है कि जिसने भी यह निर्णय किया है, महेन्द्र सिंह जी के इश्यू को निरस्त करने के लिए ही आज चर्चा पहले लगाई गई।

अध्यक्ष: धूमल जी, आप इसको थोड़ा गलत तरीके से बोल रहे हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष जी, गलत तरीके से तो आपने किया। आप बाद में रूलिंग दीजिएगा।

अध्यक्ष: सुनिए, मैं आपको बताता हूं। .....(व्यवधान)..... आपका प्वाइंट बिल्कुल सैटल हो जाएगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: नहीं, यह नहीं होगा, सर।

20.12.2016/1120/**जेके/एएस**/2

अध्यक्ष: सुनिए, सुनिए। मैं माननीय धूमल जी को कहना चाहता हूं कि जो महेन्द्र सिंह जी का सब्जैक्ट है, that is pertaining to the भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने हेतु ठोस पग उठाए जाएं, यह है। और जो दूसरा सब्जैक्ट है वह सिर्फ जनता को असुविधा हो रही है। They are two different subjects. ये दो सब्जैक्ट हैं न कि सेम सब्जैक्ट है। ये अलग-अलग सब्जैक्ट्स हैं। श्री महेन्द्र सिंह जी का जो सब्जैक्ट है, वह यह है कि "सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी को कड़ाई से लागू करके प्रदेश में भ्रष्टाचार व काले धन को रोकने हेतु ठोस पग उठाए जाएं" । यह सब्जैक्ट श्री महेन्द्र सिंह जी का है और इनका नियम 130 के अन्तर्गत सरकार द्वारा की गई नोटबंदी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे है। They are two different subjects. यह एक ही बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको थम्ब रूल बताया है कि अगर एक डिस्कशन हो चुकी है तो उसको हम दोबारा नहीं लगाते । वह निरस्त हो जाता है लेकिन क्योंकि ये दोनों सब्जैक्ट डिफरैंट हैं इसलिए हमने डिफरैंटली लगा दिया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मैं आपका भी और पीठ का भी सम्मान करता हूं इसलिए मैं बीच में नहीं बोला। यद्यपि आपका बार-बार इन्टरवीन करना उचित नहीं था। रूल नम्बर 119 के मुताबिक जो कि नम्बर- 6 पर है, It shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session. उसका नैक्स्ट जो है, It shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session. You have anticipated it. यह डिस्कशन वीरवार को होने वाली थी उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए आपने डैलिबरेटली आज ही यह डिस्कशन लगाई है।

अध्यक्ष: परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि ये सब्जैक्ट ही दो है। । There are two subjects; one is regarding the corruption out of the *Note Bandi* which is given by Shri Mahender Singh and दूसरा है कि असुविधा हो रही है।

20.12.2016/1120/**जेके/एएस**/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा कि यह तो अपने आप निरस्त हो जाएगा। आप अपनी रिकॉर्डिंग निकालिए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

20.12.2016/1125/**SS/AS**/1

Speaker: I am talking as a thumb rule कि अगर एक ही सब्जैक्ट डिस्कस हो जाए तो दूसरा निरस्त हो जाता है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: क्या आप इनको दो अलग-अलग सब्जैक्टस मानते हैं?

अध्यक्ष: ये दो अलग-अलग सब्जैक्टस हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: फिर आपने यह कैसे कह दिया कि यह चर्चा हो जायेगी तो वह निरस्त हो जायेगा।

अध्यक्ष: मैंने आपको थम्ब रूल बताया है..(व्यवधान)..

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: थम्ब रूल तो आपने चला दिया।

अध्यक्ष: हमारा रूल यह है कि अगर एक सब्जैक्ट पर डिस्कशन हो गई तो उस सेम सब्जैक्ट को हम दोबारा निरस्त कर देंगे। But they are two different subjects.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: इसलिए अध्यक्ष महोदय जो हमारे मेम्बर ने नोटिस दिया है उस पर सारा काम सस्पैंड करके चर्चा करवायें, उसके बीच में नोटबंदी भी आ जायेगा। --(व्यवधान)--

संसदीय कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, नियम-130 में चर्चा करवायें। उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं।

अध्यक्ष: नोटबंदी पर चर्चा करवायेंगे। नोटबंदी पर चर्चा क्यों नहीं करवायेंगे?---(व्यवधान)-- नोटबंदी पर चर्चा लगी हुई है तो नोटबंदी पर चर्चा करवायेंगे। ---(व्यवधान)-- मैं एग्जैक्टली आपको पढ़कर सुनाता हूं। प्लीज, माननीय मंत्री जी।

20.12.2016/1125/SS/AS/2

संसदीय कार्य मंत्री: अगर उस विषय पर आज चर्चा हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत है। हमारे चार मेम्बर्ज़ ने चर्चा हेतु विषय दिया है। --(व्यवधान)-- यह किसी तरह भी सब-ज्यूडिस मामला नहीं है। इसमें पूरे प्रदेश की जनता को जो दिक्कत हो रही है --(व्यवधान)-- यह किताब हमारे पास भी है। इसी से विधान सभा चलती है। स्पीकर की रूलिंग फाइनल है। स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है और नियम-130 के तहत चर्चा होनी है। आप नियम-130 के तहत चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? जब नियम-130 में चर्चा हो रही है तो आप उसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं? --(व्यवधान)--जब चर्चा एडवांस हो रही है तो आप एडवांस चर्चा में हिस्सा लें।

अध्यक्ष: रवि जी, एक मिनट। मैं आपको दोनों रैजोल्यूशन के टैक्स्ट पढ़कर सुनाता हूं। महेन्द्र सिंह जी ने यह लिखा है कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी को कड़ाई से लागू करके प्रदेश में भ्रष्टाचार व काले धन को रोकने हेतु ठोस पग उठाए जाएं। और जो श्री संजय रतन जी का प्रस्ताव है वह यह है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे यह सदन विचार करे। ये दोनों डिफरैंट सब्जैक्टस हैं। ये दोनों लगे हुए हैं।--(व्यवधान)-- एक प्रस्ताव भ्रष्टाचार का है और एक असुविधा का है।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी आपने नोटबन्दी के ऊपर रूलिंग दी। ये दोनों सब्जैक्टस जो यहां पर दिये, वे अलग-अलग कर दिये कि आज की चर्चा अलग से है। जो संसदीय कार्य मंत्री आज की चर्चा बता रहे हैं वह चर्चा अलग है और दूसरा जो संकल्प माननीय महेन्द्र सिंह जी ने प्राइवेट मेम्बर डे पर दिया है--(व्यवधान)--

अध्यक्ष: हम दोनों विषयों को लगा रहे हैं।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आपने अभी अपनी रूलिंग दी है। नोटबंदी की समस्या के ऊपर चर्चा बारे जैसे आपने कहा कि यहां पर माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है, उसके ऊपर आपने आज चर्चा लगा दी और जो 15 तारीख को विधान सभा सचिवालय से बैल्ट निकला उसके अनुसार हमारा प्राइवेट मेम्बर डे 22 तारीख को लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि दोनों का सब्जैक्ट अलग-अलग है। यह आपने अभी रूलिंग दी। जारी श्रीमती के0एस0

20.12.2016/1130/KS/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी---

हमारा कहना भी यही है कि हमने जो नियम-67 के अंतर्गत चर्चा दी है वह हमारा अलग सब्जैक्ट है। मैं भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं मांग रहा हूं। मेरी मांग भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं है।

अध्यक्ष: लिखा तो यही है।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, फिर पढ़ लो। मैं आपको यहां पर फिर नोट करवा रहा हूं। मेरा जो इसमें वर्शन है, वह मैंने कहा है ।

अध्यक्ष: हम तो जो लिखा है, उसको पढ़ेंगें।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, जरा सुन लो। मैंने जो आपको नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया-"भारतीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा प्रदेश के मुख्य मंत्री पर दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन "आय से अधिक सम्पत्ति" मामले की जांच को प्रदेश सरकार

द्वारा प्रभावित करने के आरोप पर यह सदन अविलम्ब चर्चा करें।" जो एडवोकेट जनरल वहां पर जाकर पेश हो रहा है।----(व्यवधान)----

अध्यक्ष: उसमें कोई तथ्य भी तो होना चाहिए।-----(व्यवधान)---

श्री रविन्द्र सिंह: विषय वही है। अध्यक्ष महोदय, विषय वही है। जैसे नोटबन्दी की रूलिंग अलग है, ये भी दोनो रूलिंग अलग-अलग है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे बिजनैस को स्थगित करके, मेरे विषय पर नियम-67 के अंतर्गत चर्चा कराईए। -----(व्यवधान)-----

अध्यक्ष: मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो आपने मांग की है, उसके बारे में कोई तथ्य तो आपके पास है ही नहीं। आपने कोई तथ्य पेश नहीं किए हैं और जब तक हमारे पास कोई तथ्य नहीं आते, हम डिस्कशन नहीं कर सकते। -----(व्यवधान)---- I have already rejected the Motion and this cannot be taken up. Let us go ahead with the Question Hour. Question Hour begins.

20.12.2016/1130/KS/AG/2

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आ कर नारेबाज़ी करने लगे।)

Question No. 3301, Shri Vinod Kumar, Shri Randhir Sharma. (Interruption)

I have rejected your Motion and if you still want to discuss it, then I will not allow.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

20.12.2016/1135/av/ag/1

(सदन के अंदर लगातार नारेबाजी होती रही।)

(---व्यवधान---)

अध्यक्ष : मैं इस हाउस को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

सदन के दोबारा शुरू होने पर श्री वर्मा द्वारा जारी

20.12.2016/1205/TCV/AS/1

सदन की बैठक 12.05 **बजे** अपराह्न **पुन: आरम्भ हुई ।**

अध्यक्ष: श्री इन्द्र सिंह जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री इन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, I have very high regards to the Hon'ble Chief Minister. लेकिन जब आपने हाऊस एडजॉर्न किया और मैं सदन में आ रहा था उन्होंने मुझे थ्रैटनिंग लैंग्वेज़ से रोका। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा? But his intentions were not good. मुझे ऐसा लगा जैसे वे मुझे धमका रहे हैं। मैं विधायक हूं (व्यवधान) सर, मुझे सुन तो लो। (व्यवधान) जैसा मेरे साथ किया गया (व्यवधान) that does not suit the Chair.

अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते है?

श्री इन्द्र सिंह: मैं एक फौजी आदमी हूं । मैं डिसिप्लेन में रहता हूं और डिसिप्लेन से पास हो रहा था। लेकिन मुझे रोका गया और थ्रैटनिंग लैंग्वेज़ इस्तेमाल की गई। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे क्या कहा? वे इस हाऊस में आकर बोलें कि उन्होंने मुझे क्या कहा? ये कोई तरीका नहीं होता है।

उद्योग मंत्री (**संसदीय कार्य मंत्री**): ये माननीय मुख्य मंत्री जी का आपके प्रति स्नेह है।

श्री इन्द्र सिंह: नहीं, नहीं स्नेह की बात नहीं है। I want to know from the Hon'ble Chief Minister that what he uttered towards me? What he spoke to me in a threatening language style?

अध्यक्ष: I have not noticed it.

श्री इन्द्र सिंह: नहीं ये गलत है। He should come out and let me know what he has spoke. I want to know from the Hon'ble Chief Minister.

श्रीमती एन0एस0 ---- द्वारा जारी।

20/12/2016/1210/NS/AS/1

अध्यक्ष: आप क्या बोलना चाहते हैं?

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि यह तो अच्छे आदमी हैं।

श्री इन्द्र सिंह: Certainly not. यह कोई तरीका नहीं है। That is not the way.

Speaker: I will find out.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आदर करते हैं लेकिन इनका भाषा पर आज तक नियन्त्रण नहीं रहा है। हमारे माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह जी, जो लगातार कई वर्षों तक सेना में रहकर देश की रक्षा/सेवा करते रहे हैं और पिछले कई वर्षों से प्रदेश की सेवा एक विधायक के तौर पर भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष: क्या आपने सुना है कि उन्होंने (मुख्य मंत्री) क्या कहा?

श्री रविन्द्र सिंह : उनके प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करना मुख्यमंत्री महोदय को शोभा नहीं देता है। (व्यवधान) मुझे लगता है कि उनके ज़हन में ऐसी बात आ गई है, वे बाहर भी कहते हैं कि मैं एक गांधीवादी हूं लेकिन अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे घूंसा मारूंगा। मुख्य मंत्री महोदय के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ईमानदार छवि के मालिक हैं और अपने इलाके का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं तथा उनके प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करना मुख्यमंत्री महोदय को शोभा नहीं देता है। बजाए इसके कि हमारे माननीय सदस्य यहां पर उनकी ओर से कोई ऐसी बात रखें,

मुख्यमंत्री महोदय कल आएं और यहां पर माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी से खेद प्रकट करें तथा माफी मांगे कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए तथा माफी मांगनी चाहिए। हमें उस ओर के माननीय सदस्यों की सफाई नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं।

20/12/2016/1210/NS/AS/2

अध्यक्ष : ठाकुर कौल सिंह जी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री) क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र सिंह जी ऐसे ही तैश में आ रहे हैं जबकि माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने घूर करके मेरे बारे में कुछ कहा। हमने यह कहा कि श्रीमती विद्या स्टोक्स जी व मैं भी यहीं पर बैठे थे तथा उन्होंने कहा कि God bless you. अब यह अपनी मर्ज़ी से ही जोड़ रहे हैं। इनके सदस्य खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या कहा है? फिर श्री रविन्द्र सिंह जी को किस बात की चिन्ता व परेशानी है। मुख्यमंत्री महोदय किसी को धमकाते नहीं हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने जो हाऊस एडजोर्न होने के बाद घटना घटी उसका ज़िक्र किया और एक ईमानदार फौज़ी ऑफिसर की तरह कहा कि मैं जब आ रहा था तो उनका जो gesture था, वह ठीक नहीं था और उसकी भाषा भी मेरी समझ में नहीं आई।

श्री आर.के.एस. द्वारा -----जारी।

20.12.2016/1215/RKS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: ..... जारी

लेकिन जिस तरह से किसी माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, उसका बैस्ट जवाब तो माननीय मुख्य मंत्री जी ही दे सकते हैं। श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने जरुर कहा होगा कि आपने ठीक नारे लगाए 'God bless you'. अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को डायरैक्ट आमने-सामने कहा और कर्नल साहब को यह पता नहीं लगा कि शब्द क्या थे? इंटैंशन अच्छी नहीं थी। लेकिन जब वे आगे निकले तो श्री कौल सिंह ठाकुर जी का बैंच आ गया और उन्होंने कहा 'God bless you'. यही मुझे असली बात लग रही है।

Parliamentary Affairs Minister: When in doubt, leave it out.

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्धाज जी आप बोलिए।

श्री सुरेश भारद्धाज: अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-67 के अंतर्गत नोटिसिज़ दे रखे हैं।

अध्यक्ष: वे नोटिसिज़ मैंने रिजैक्ट कर दिए हैं।

श्री सुरेश भारद्धाज: हमारी चर्चा हो नहीं रही है। क्योंकि जिस केस में एक मुंशी अंदर है और लाला बाहर है ...(व्यवधान)...। हमें उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है...(व्यवधान)....।

Speaker: I have rejected it. No, no. No discussion. I have rejected that Motion. Now, there will be no discussion on this. This is not to be recorded. When a Motion has been rejected, there can be no discussion. It has been rejected already and no discussion can take place. Mr. Bhardwaj, no discussion can take place. If you insist on that, I will take some action. This is not the proper way. We should adhere to the rules of the Assembly. We should speak according to the rules of the Assembly. आप मुझे कहते हैं कि आप यह करें, वह करें लेकिन आप रुल्ज़ के विरुद्ध कर रहे हैं। You should adhere to the rules of the Assembly. If you are not adhering to the rules of the Assembly, how can the

Assembly run? This is wrong. Mr. Bindal, there will be no discussion about 67. I have rejected it already. You should not take up this matter.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है। यदि कोई सदस्य चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वे लें, सरकार इसका पूरा जवाब देगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से एक बार रुलिंग दे दी है then according to our rules that ruling is final and that cannot be agitated. यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के खिलाफ उनके स्टेज़ पर चढ़ गए। यह भी कंटैम्प्ट ऑफ दी हाउस है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि ऐसा व्यवहार माननीय अध्यक्ष महोदय के खिलाफ न करें। क्योंकि अध्यक्ष की अपनी मर्यादा है और जो अध्यक्ष ने फैसला दे दिया है That is final. That cannot be agitated.

अध्यक्ष: यही तो मैं भी कह रहा हूं कि rules of the Assembly must be adhered to properly.

श्री सुरेश भारद्वाज: माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर हाज़िर नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री यहां पर बोल नहीं रहे हैं...(व्यवधान)।

अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री कौल सिंह ठाकुर जी को एम्पावर कर गए हैं। माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी आप क्या कहना चाहते हैं? What do you want to say?

डॉ0 राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। आपने कहा कि विषय सब-ज्यूडिस है लेकिन हम यह कह रहे हैं कि 3 जज़िज की बैंच ने उनके खिलाफ फैसला दिया है और जो उन्होंने अपील की थी वह खारिज़ कर दी गई है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

20.12.2016/1220/SLS-AG-1

डॉ0 राजीव बिन्दल ....जारी

फिर जब उनकी अपील एक बार खारिज कर दी गई है तो एक्शन है और जब तक अगली कोर्ट उसको स्टे नहीं देती है तब तक हम चर्चा करने का बनता पूरा अधिकार रखते हैं। इसलिए हमें अलौ किया जाना चाहिए। हमारा कहना है कि तीन जजिज की बैंच ने फ़ैसला दे दिया है और वह फ़ैसला होने के पश्चात इस समय हिमाचल प्रदेश भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुके हैं। तीन जजिज का फ़ैसला आना और उनके (मुख्य मंत्री जी के) द्वारा यह कहा जाना कि ये जजिज दिल्ली से भेजे गए हैं; अरे, दिल्ली से भेजे गए जज क्या जज नहीं होते? किसी भी ज्यूडिसयरी के ऊपर इस प्रकार की बात करना, यह बिल्कुल गलत है। एक तरफ यह कहना कि मैं जजिज का पूरा सम्मान करता हूं और दूसरी तरफ यह कहना कि यह कंगारू कोर्ट है, What does it mean?

Speaker: This is not to be recorded. This is wrong thing. I must say that the case is still pending in the court of law and is still sub-judice. Sub-judice cases are not to be discussed in this Assembly. This is my final ruling. Do you think that it is proper to come to the dais of the Speaker and make slogans? Do you think this is a rule? Are you doing something within the rules? When your Members come here on the dais and shout slogans, do you think this is a correct thing? You should also condemn that. You should make your Members within control, I would say. You should adhere to the rules. Once I

have given the ruling that the Motion has been rejected and the case is in the High Court and unless the decision is finally made, nothing can be done here.

Shri Suresh Bhardwaj: This is a question of spending money from the public exchequer. Advocate General is going to the High Court of Delhi.

20.12.2016/1220/SLS-AG-2

Speaker: When I have rejected the Motion, nothing is to be discussed here regarding this. Nothing is to be discussed here. (Interruption) That is one stage of the case. (Interruption) As you know the Hon'ble High Court has also reserved the decision. That is part of the decision. That is part of the sub-judice proceedings. (Interruption) No discussion on it. I have rightly rejected the Motion. रविन्द्र जी,...(व्यवधान)... रवि जी, प्लीज।

20.12.2016/1220/SLS-AG-3

साप्ताहिक कार्यसूची बारे वक्तव्य

अब सदन में साप्ताहिक कार्यसूची बारे वक्तव्य होगा। अब सदन के नेता द्वारा अथॅराइज ठाकुर कौल सिंह जी सदन को सप्ताह की कार्यसूची से अवगत कराएंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के समीप एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे।)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है -

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2016 शासकीय/विधायी कार्य।

बुधवार, 21 दिसम्बर, 2016 शासकीय/विधायी कार्य।

वीरवार, 22 दिसम्बर, 2016 शासकीय/विधायी कार्य और
गैर-सरकारी *सदस्य* कार्य।
शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2016 शासकीय/विधायी कार्य ।

अगली मद श्री गर्ग जी द्वारा

20/12/2016/1225/RG/AS/1

(विपक्ष के सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप पहुंचकर नारेबाजी करने लगे)

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और यह डिसाइड किया जाए कि क्या ये माननीय सदस्य आपके आसन तक जा सकते हैं? यह बिल्कुल गलत है और इस सदन की गरिमा तार-तार की जा रही है। ----(व्यवधान)----

अध्यक्ष : मैं आप सभी से निवेदन करुंगा कि जब एक बार मैंने आपका मोशन रिजेक्ट कर दिया है तो उस बारे में आप बार-बार बात न करें। क्योंकि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है और आप स्वयं कह रहे हैं कि 'मैंने जो डिसीजन लिया है वह आपको स्वीकार्य है।' लेकिन आप बार-बार उसी बारे में बात भी करते हैं, that is not proper. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सदन चले, तो ठीक है।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा**,
दिनांक : 20 **दिसम्बर**, 2016 **सचिव।**